शहरों का तापमान | मोतिहारी : अधिकतम 34.0°C न्यूनतम 23.0°C | मुजफ्फरपुर : अधिकतम 33.4°C न्यूनतम 22.6°C



## 10 सूत्री मांगों को लेकर अमीनों ने कचहरी चौक पर किया प्रदर्शन

# अमीनों की सामूहिक अवकाश और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

**आक्रोश**

प्रतिनिधि, मोतिहारी

स्थानांतरण और सम्मानजनक वेतनमान सहित अपनी दस सूत्री मांगों को लेकर बिहार राजस्व अमीन संघ (जिला इकाई) ने सोमवार को कचहरी चौक पर धरना-प्रदर्शन किया. जुटे दर्जनों अमीनों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और व्यवस्था में सुधार की मांग की.

प्रदर्शन के बाद संघ के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को अपनी मांगों से संबंधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा.धरना को संबोधित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार ओझा ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया. कहा कि, विभाग द्वारा सीओ और राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण तो कर दिया गया है, लेकिन अमीनों के तबादले को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है.




प्रदर्शन करते अमीन.

### ये हैं अमीनों की प्रमुख मांगें

तबादला और पदोन्नति : शीघ्र स्थानांतरण, सम्मानजनक वेतनमान, पदसोपान और सेवा संपुष्टि की जाए. विभाग में खाली पड़े अमीनों के पदों पर जल्द नई बहाली निकाली जाए, फील्ड वर्क को देखते हुए वाहन, यात्रा और इंटरनेट भत्ता दिया जाए. क्षेत्रीय कार्य की व्यस्तता के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म हो.

मांग की कि नियमों के तहत अमीनों का भी अविलंब स्थानांतरण किया जाना चाहिए.

प्रदर्शन में शामिल महिला अमीनों ने कहा कि कई कर्मियों का गृह जिला दूसरे राज्यों में है.सालों से एक ही जगह पर पदस्थापित होने के कारण उन्हें घर आने-जाने और पारिवारिक तालमेल बिठाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

### मांगें पूरी नहीं हुईं तो सामूहिक अवकाश

अमीन संघ ने सरकार को दोटूक चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 6 अक्टूबर से सभी अमीन सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे.इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेगा. मौके पर जिला महामंत्री रोहित कुमार, कोषाध्यक्ष रंजन कुमार, मीडिया प्रभारी शुभम कुमार सहित भारी संख्या में अमीन उपस्थित थे.

## दुर्गा पूजा को ले शांति समिति की बैठक

**तुरकौलिया.** दुर्गा पूजा के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सोमवार को प्रखंड परिसर स्थित सभागार भवन में शांति समिति की बैठक हुई. बैठक में प्रशासन ने पूजा समितियों को नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की. साथ ही पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए गए. सीओ प्रभात कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. किसी भी पूजा पंडाल में डीजे बजता पाया गया तो संबंधित पूजा समिति के सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मौके पर मुखिया रामजन्म पासवान, सरपंच विजय सिंह, रसूल अंसारी, पंचायत समिति सदस्य ईद महम्मद देवान, राज गुप्ता समेत दर्जनों लोग मौजूद थे.

## वरिष्ठजनों के सम्मान के साथ हुई स्वास्थ्य जांच

- स्नेह छाया कार्यक्रम में 50 वरिष्ठजनों की हुई जांच

प्रतिनिधि,मोतिहारी

लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल की ओर से रविवार को वरिष्ठजनों के सम्मान में 'स्नेह छाया' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठजनों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और अपनत्व व्यक्त करना था. कार्यक्रम में करीब 50 वरिष्ठजनों ने भाग लिया. क्लब अध्यक्ष गौरी जायसवाल, सचिव रंजिता गुप्ता और कोषाध्यक्ष रीना विजडम ने तिलक, माला और अंगवस्त्र देकर उनका अभिनंदन किया. ज्योति बोहरा, प्रिया सर्राफ, डॉ. खुशबू परासर और डॉ. संगीता कुमारी ने प्रस्तुति दी. क्वीजका संचालन अंगद सिंह व प्रियंका सिंह ने किया. डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संगीता नंदा ने कहा कि सम्मान सेवा और अपनत्व से भी व्यक्त होता है. क्लब संरक्षक डॉ. आशुतोष शरण ने कहा कि वरिष्ठजनों का अनुभव समाज की अमूल्य धरोहर है.अंत में वरिष्ठजनों को स्नेह-उपहार देकर विदाई दी गयी. मौके पर पीडीजी प्रकाश नंदा, वीडीजी-2 गीता शर्मा, सीमा अग्रवाल, चंदू मिश्रा, मुरारी सर्राफ, प्रशांत जायसवाल, उमेश मोहता, राजीव विजडम, रेणु लोहिया, डॉ. संगीता कुमारी, डॉ. सौरभ कुमार, डॉ. राकेश चंद्रा, प्रीति जायसवाल, प्रियंका गुप्ता, रंजना, खुशबू, डॉ. सोनाली, रंजिता गुप्ता सहित क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे.



कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठजन व लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल व सदस्य.

## लायंस क्लब ऑफ बापूधाम मोतिहारी का गठन

- डॉ. कमलेश बने प्रथम अध्यक्ष, राहुल बने सचिव
- नि:शुल्क नेत्र व समान्य जांच की सुविधा देगी क्लब

प्रतिनिधि,मोतिहारी

शहर के एक निजी होटल में लायंस क्लब चकिया के स्पॉन्सरशिप में लायंस क्लब ऑफ बापूधाम मोतिहारी का गठन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ सदर एसडीओ अरुण कुमार, जिलापाल लायन संगीता नन्दा, लायन प्रकाश नन्दा एवं लायन गीता शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. मुख्य अतिथि अरुण कुमार का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया. उन्होंने कहा कि लायंस क्लब मानव सेवा के उद्देश्य से कार्य करने वाला संगठन है. उन्होंने नवगठित क्लब के सदस्यों को समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया. इस दौरान नए सदस्यों को सेवा एवं कर्तव्य की शपथ दिलायी गयी. डॉ. कमलेश कुमार को प्रथम अध्यक्ष तथा राहुल कुमार को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गयी.



लायंस क्लब ऑफ बापूधाम मोतिहारी के गठन समारोह में दीप प्रज्वलित करते पदाधिकारी व अन्य.

अध्यक्ष डॉ. कमलेश कुमार ने कहा कि क्लब स्वास्थ्य, शिक्षा, जरूरतमंदों की सहायता एवं सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में कार्य करेगा. जिलापाल संगीता नन्दा ने क्लब के सेवा अभियानों की जानकारी दी. इस दौरान प्रत्येक रविवार को भवानीपुर जिरात ब्लॉक रोड स्थित नेत्रिका आई केयर में निशुल्क नेत्र जांच केंद्र और प्रत्येक शुक्रवार को मंजर हॉस्पिटल में निशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच की शुरुआत की गयी. कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया. कार्यक्रम को सफल बनाने में ला. विनायक कृष्ण, ला. संतोष कुमार रौशन, ला.अशफाक करीम,ला.रंजीत आर. जायसवाल,ला डॉ. नवीन कुमार,ला.जितेंद्र कुमार गुप्ता, उमेश कुमार गुप्ता, गौरव चंद्रवंशी,विनय कृष्ण, रविंद्र बेरवाल, साबिर हुसैन, अनामिका कुमारी, डॉ. दिलशाद आलम, नीरज कुमार चौधरी, संगीता साव सहित अन्य सदस्यों एवं सहयोगियों की भूमिका रही.

## पकड़ीदयाल जिला निर्माण को लेकर निकाला पैदल मार्च

**पकड़ीदयाल.** पकड़ीदयाल जिला निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह की अगुआई में सैकड़ो स्थानीय लोगों ने ब्रह्मस्थान से अनुमंडल कार्यालय तक पैदल मार्च किया.वहा एसडीओ मंगला कुमारी को ज्ञापन दिया.जिला निर्माण संघर्ष समिति के पदाधिकारियो मनीष कुमार सिंह,विजय कुमार सिंह,अशोक सिंह,मनोज केशरी,मुकेश कुमार सिंह,संतोष कुमार सिंह,बच्चा यादव ने बताया कि पकड़ीदयाल अनुमंडल में जिला बनने के लिए पर्याप्त आधार है.पकड़ीदयाल के जिला बनने से पूर्वी चंपारण क्षेत्रफल कम होगा जिससे विकास को गति मिलेगी.पकड़ीदयाल तीन अनुमंडल (ढाका, पकड़ीदयाल तथा चकिया) के बीच मे है .इस नाते भी पकड़ीदयाल को जिला बनाकर सरकार शहरीकरण की ओर एक कदम आगे बढ़ सकेगी.मौके पर अन्य के आलावे परमा जायसवाल, मंगल यादव, प्रमोद कुशवाहा, सुभाष कुमार,मुरारी प्रसाद,सुनील सहनी, उमेश सिंह सहित सैकड़ों उपस्थित रहे.

**सिटी बाइट्स**



लोगों की समस्याओं से रूबरू होती विधायक.

## विधायक ने सुनीं बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं

**संग्रामपुर.** बाढ़ प्रभावित भवानीपुर मलाही टोला में सोमवार को मेडिकल कैंप लगाकर बाढ़ पीड़ितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. चिकित्सकों की टीम ने मरीजों की जांच कर आवश्यक दवाएं एवं हैलोजन की गोली निशुल्क वितरित कीं. कैंप में पहुंचीं केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली. विधायक ने अरेराज एसडीएम सुजीत कुमार से कहा कि बाढ़ राहत के तहत मिलने वाले अनुग्रह अनुदान से वंचित पीड़ित परिवारों की जांच कर जल्द से जल्द उनका नाम सूची में जोड़ा जाए, ताकि उन्हें सरकारी सहायता का लाभ मिल सके. उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन वितरण का कार्य भी समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया. विधायक ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. बाढ़ के बाद संक्रमण की आशंका को देखते हुए प्रभावित इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी कराया गया. मेडिकल कैंप में प्रभारी चिकित्सक डॉ. अनिल कुमार कंचन, आरबीएसके चिकित्सक डॉ. रणजीत कुमार तिवारी, जितेंद्र शर्मा सहित स्वास्थ्य टीम मौजूद रही. मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि नितेश कुमार, बीडीओ मुकेश कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार पासवान, सीओ सुमित राज, अजित सिंह, श्रीभगवान गिरी, पिंटू सिंह, चंदन सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे.

## अरेराज एसडीओ के नाम से वायरल राशन रोकने का आदेश फर्जी,कार्रवाई के निर्देश

**मोतिहारी.** अरेराज एसडीओ के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राशन वितरण पर रोक संबंधी आदेश फर्जी है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई आदेश अनुमंडल कार्यालय से जारी नहीं किया गया है. सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से एक पत्र प्रसारित किया जा रहा है. इसमें सोमवार को पीडीएस के माध्यम से राशन वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और कार्रवाई किए जाने की बात कही गयी है. पत्र पर अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज के कार्यालय का नाम, पत्रांक, मुहर और हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है. अनुमंडल प्रशासन ने बताया कि उक्त पत्र पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है. प्रथम दृष्टया यह पत्र एआइ तकनीक की सहायता से तैयार किया गया कूटरचित दस्तावेज प्रतीत होता है. प्रशासन ने आम लोगों, पीडीएस दुकानदारों और लाभुकों से अपील की है कि वे इस फर्जी आदेश से भ्रमित न हों और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. सरकारी कार्यालय और पदाधिकारी के नाम, मुहर व हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर फर्जी आदेश तैयार करने और उसे प्रसारित करने वालों की पहचान की जा रही है. ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

## पूर्व मुखिया को मातृ शोक

**पहाड़पुर.** प्रखंड के परसौनी पंचायत के भटोली गांव निवासी व उक्त पंचायत के पूर्व मुखिया प्रेमचंद शर्मा की माता फुलझरी देवी का निधन चार अक्टूबर को हो गया. वहीं सोमवार को उनकी अंतिम संस्कार भी कर दी गई है. बताते चलें कि पूर्व मुखिया की माता शतक पार कर चुकी थी. उनका उम्र 102 वर्ष हो चुका था. उनके निधन पर समाजसेवीयों व बुद्धिजीवियों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया है. शोक संवेदना व्यक्त करने वाले में पूर्व विधायक सुनीलमणी तिवारी वरीय समाजसेवी कृष्णा मिश्रा,अधिवक्ता रामदत प्रसाद राय, सच्चितानंद तिवारी पूर्व सैनिक कामेश्वर तिवारी योगेन्द्र तिवारी पूर्व मुखिया जनार्दन मिश्रा सरपंच वशिष्ठ बैठा, उमाशंकर राय, पैक्स अध्यक्ष विकाश शर्मा सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी चंद्र भूषण शर्मा अरविंद कुमार तिवारी सहित कई लोग शामिल है.

**FORM NO.14**
[See Regulation 33(2)]
By Regd. A/D, Dasti failing which by Publication.
**OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II**
**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL PATNA**
2nd Floor, (A, B & F Wing), Karpuri Thakur Sadan, Kendriya Karamchari Parisar (GPOA), Ashiana Digha Road, Patna-800025.
**DEMAND NOTICE**
NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.
RC/197/2026 30-09-2026
**INDIAN BANK**
**Versus**
**MS SYMBIOSIS INFOTECH**
To
**(CD 1)** M/s SYMBIOSIS INFOTECH situated at Shashi Complex 2nd Floor New Dak Bunglow Road, Police Station-Kotwali, Patna, BIHAR-800001
**(CD 2)** SRI DANISH SULTAN Son of Quisar Sultan, Proprietor of M/s Symbiosis Infotech, resident of Haroon Nagar Colony, Sector-2, Phulwarisarif, P.S.-Phulwari, District-Patna-801505.
**(CD 3)** BIBI NAZMA KHATOON Wife of Md. Faizur Rahman, resident of ward no.-13, Azad Nagar, Post Office and Police Station - Araria, District-Araria-854311
**(CD 4)** NISWATUM MARYA Wife of Faiz Emam, resident of Phulwarisarif, P.S.-Phulwari, District-Patna-801505
This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL PATNA in **OA/648/2024** an amount of **Rs. 21127190.00 (Rupees Two Crore Eleven Lakhs Twenty Seven Thousands One Hundred Ninety Only)** along with pendentellite and future interest @ 10% Simple Interest Yearly w.e.f. **10/12/2024** till realization and costs of **Rs. 150000 (Rupees One Lakh Fifty Thousands Only)** has become due against you (Jointly and severally/Fully/Limited).
2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.
3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing.
4. You are hereby ordered to appear before the undersigned on **27/11/2026** at 10:30 a.m. for further proceedings.
5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:
(a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate / execution proceedings.
(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.
Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **30/09/2026**
Recovery Officer
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL PATNA

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
क्षेत्रीय कार्यालय, बलुआटाल, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण-845401
परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें]
**अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना**
**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।**
आम जनता को एवं विशेष रूप से उधारकर्ता एवं गारंटर को, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसे सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज के रूप में रखा गया है एवं जिसका **प्रतीकात्मक कब्ज़ा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेहसी शाखा** (सुरक्षित लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है जिसे उधारकर्ता एवं गारंटर से सुरक्षित लेनदारों के बकाए की वसूली के लिए **दिनांक 10.11.2026 को 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है', एवं 'जो कुछ भी है'** के आधार पर बेचा जाएगा। संबंधित संपत्तियों के विवरण के सामने आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा प्रदर्शित की गई है।

| क्र. सं. | शाखा | उधारकर्ता का नाम | मांग सूचना राशि/बकाया | अचल संपत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मेहसी | मेसर्स माँ किराना स्टोर प्रो.- मंजय कुमार सिंह पिता राम नरेश सिंह एवं रंजय कुमार सिंह पिता राम नरेश सिंह | रु. 2,71,17,163.00 (रूपये दो करोड़ इकहत्तर लाख सत्रह हजार एक सौ तिरसठ मात्र) दिनांक 08.07.2026 तक एवं उस पर अतिरिक्त ब्याज व कानूनी शुल्क। | **1.पहली संपत्तिः-** संपत्ति का साम्यिक बंधक (भूमि एवं भवन) मंजय कुमार सिंह एवं रंजय कुमार सिंह के नाम पर जिसका सेल डीड 7786 दिनांक 15/11/2017 खाता संख्या 681, प्लॉट / खेसरा संख्या- 1088, क्षेत्रफल- 0-0-12 (12 धुर) थाना संख्या -392, स्थित - मौजा -सादतपुर, थाना एवं अंचल - कांटी, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार 843108 **1. सेल डीड के अनुसार**-उत्तर-12 फीट, दक्षिण-महेश साह खेसरा संख्या-1089 के अंतर्गत, पूर्व-निज लेखाकारी, पश्चिम-निज लेखाकारी | रु. 26,67,000.00 रु. 2,66,700.00 रु. 10,000.00 |
| | | | | **2.दूसरी संपत्तिः-** संपत्ति का साम्यिक बंधक (भूमि एवं भवन) मंजय कुमार सिंह एवं रंजय कुमार सिंह के नाम पर जिसका सेल डीड 167 दिनांक 16-01-2017 खाता संख्या 25, प्लॉट / खेसरा संख्या 161 क्षेत्रफल 0-0-10 (10 धुर) थाना संख्या -131 स्थित - मौजा -घरियारी चक, वार्ड संख्या -03, पो+थाना-मेहसी, जिला-पूर्वी चंपारण, बिहार **2. सेल डीड के अनुसार**- उत्तर- बिनोद कुमार, दक्षिण- सुजीत कुमार, पूर्व- निज मोकिरन, पश्चिम-रास्ता कच्ची 6 फीट चौड़ा | रु. 16,54,000.00 रु. 1,65,400.00 रु. 10,000.00 |

**सुरक्षित ऋणदाता को ज्ञात भारः बैंक को ज्ञात नहीं**
इसे उक्त ऋण के उधारकर्ता/उधारकर्ताओं एवं गारंटर/गारंटरों को उपरोक्त तिथि को ई-नीलामी के आयोजन के संबंध में सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) / नियम 9(1) के तहत दी गई सूचना भी माना जा सकता है।
ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता www.baanknet.com पर समय से पहले अपना विवरण पंजीकृत करना होगा एवं उन्हें उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
इच्छुक बोलीदाताओं को केवल पासवर्ड बदलने की सलाह दी जाती है। शैक्षिक वीडियो के लिए बोलीदाता www.baanknet.com पर जा सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर दिए गए लिंक को देखें।
बोलीदाता को वेबसाइट www.baanknet.com पर पंजीकरण करना होगा और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद, ईएमडी को एनईएफटी/स्थानांतरण के माध्यम से ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में जमा किया जाएगा (www.baanknet.com से चालान जनरेट होने के बाद)।
इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे www.baanknet.com के केंद्रीय हेल्पडेस्क नंबर 033-22901004 पर संपर्क कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए शाखा प्रबंधक, **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेहसी शाखा (मोबाइल संख्या) 9264292154** या अधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, **मोतिहारी (मोबाइल नंबर) 9264292124** से संपर्क कर सकते हैं या बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार) की वेबसाइट **www.centralbank.bank.in** एवं **www.baanknet.com** पर दिए गए लिंक पर जाएं।
**दिनाक :** 05.10.2026
**स्थान :** मेहसी
विवाद की स्थिती में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा
प्राधिकृत अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

AXIS BANK
**एक्सिस बैंक लिमिटेड**
शाखाः पटना आरएसी पताः दूसरी मंजिल, सीता उषा स्क्वायर, कंकड़बाग मेन रोड, कंकड़बाग, पटना-800020
**मांग सूचना**
**वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सार्वजनिक नोटिस**
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान में चूक की है और उक्त ऋण सुविधाएं गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में परिवर्तित हो गई हैं। उन्हें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए गए थे, किंतु वे तामील नहीं हो सके। अतः इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से उन्हें इसकी सूचना दी जाती है।

| क्र. सं. | उधारकर्ता एवं गारंटर का नाम व पता | जिस संपत्ति पर ऋण लिया गया है उसका पता | क) नोटिस की तारीख ख) एनपीए की तारीख | वितरित ऋण | बकाया राशि (नोटिस की तारीख तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **साहिल ट्रेडर्स, अपने प्रोपराइटर मोहम्मद सैनुल्लाह के माध्यम से** 01, बसंतपुर, डाकघर-मैनाटांड़, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पास, शहर-मैनाटांड़, जिला-पश्चिम चंपारण, बिहार-845306 (उधारकर्ता) **मोहम्मद सैनुल्लाह**, पुत्र मोहम्मद शेख फारकुल 01, बसंतपुर, डाकघर-मैनाटांड़, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पास, शहर-मैनाटांड़, जिला-पश्चिम चंपारण, बिहार-845306 **(सह-आवेदक/उधारकर्ता)** अन्य पताः ग्राम-पंजरकट्टा, वार्ड नं.-03, बड़ेपुरा, शहर-नरपतगंज, डाकघर-पंजरकट्टा, इंडियन पेट्रोल पंप के पास, जिला-अररिया, बिहार-854318 **(सह-आवेदक/उधारकर्ता)** | मौजा-बसंतपुर, वार्ड नं.-13, जिला-पश्चिम चंपारण, थाना नं.-252, टोला-चपरिया, खाता नं.-44, खेसरा नं.-163 में स्थित, मोहम्मद सैनुल्लाह के नाम की 4.25 डिसमिल वाणिज्यिक भूमि एवं भवन, जिस पर पंजीकृत बंधक बनाया गया है। दस्तावेज संख्या 18690 दिनांक 26/10/2023 के अनुसार सीमाएँ: उत्तरः हसन मियां, दक्षिणः रामायण साह, पूर्वः फरकुल शेख, पश्चिमः जहरुद्दीन मियां। | क) 04-04-2026 ख) 23-02-2026 | रु. 22,26,000/- ऋण खाता नं. 923030060550300 | रु. 22,84,145.76/- (रुपये बाईस लाख चौरासी हजार एक सौ पैंतालीस और छिहत्तर पैसे मात्र) |
| 2 | **1. श्री स्वप्निल आदित्यवेश, पुत्र श्री जगदीश विश्वकर्मा,** एलआईसी कार्यालय के पीछे, उज्जैन टोला, वार्ड नं. 35, बेतिया, जिला-पश्चिम चंपारण, बिहार-845438 (सह-आवेदक) **2. श्रीमती बतासा देवी,** पत्नी श्री जगदीश विश्वकर्मा; तथा **3. श्री जगदीश विश्वकर्मा,** पुत्र श्री जमादार ठाकुर, दोनों मकान नं. 20, उज्जैन टोला, ग्राम-बेतिया, जिला-पश्चिम चंपारण, बिहार-845438 में निवासरत हैं। | मौजा-उज्जैन टोला, प्रगति नगर, थाना नं.-131, तौजी नं.-951, जमाबंदी नं.-2698, अंचल-बेतिया, जिला-पश्चिम चंपारण में स्थित 6.25 डिसमिल आवासीय भूमि (2 कट्ठा × 5½ हाथ), जिस पर मूल स्वत्व विलेख (टाइटल डीड) जमा कर साम्यिक बंधक बनाया गया है। विलेख संख्या 8744 दिनांक 13.05.1985 के अनुसार, खाता नं. 11 (खेसरा नं. 154/16) एवं खाता नं. 42 (खेसरा नं. 155/21)। सीमाएंः उत्तरः ललन तिवारी की भूमि, दक्षिणः 10 फीट चौड़ी सड़क, पूर्वः 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः 3 फीट चौड़ी गली। | क) 06-12-2018 ख) 02-05-2018 | रु. 2,90,000/- ऋण खाता नं. 915030023705555 तथा रु. 5,00,000/- ऋण खाता नं. 915030023705568 | रु. 9,10,790.78/- (रुपये नौ लाख दस हजार सात सौ नब्बे और अठहत्तर पैसे मात्र) |
| 3 | **1. श्री मदन प्रसाद,** जमादार टोला, वार्ड नं. 11, जमादार टोला, ग्राम-जमादार टोला, अंचल-बेतिया, जिला-पश्चिम चंपारण, बिहार-845438, रामजानकी मंदिर के पास, मोबाइल-9199303410 **(उधारकर्ता)** **2. श्री प्रभु प्रसाद,** पुत्र श्री जादो लाल साह, जमादार टोला, बेतिया, बेतिया एच., पश्चिम चंपारण, बेतिया, बिहार-845438, रामजानकी मंदिर के पीछे (सह-आवेदक/गारंटर) | गैर-कृषि संपत्ति (नगरपालिका आवासीय भूमि तथा उस पर वर्तमान में या भविष्य में निर्मित भवन, यदि कोई हो), जिसका क्षेत्रफल 3 कट्ठा 6 धुर 10 धुरकी (25 डिसमिल के बराबर) है, जो विक्रय विलेख संख्या 3236 दिनांक 23.02.2011 के अनुसार श्री प्रभु प्रसाद, पुत्र श्री जादो लाल साह के नाम है। पताः मौजा-करगहिया, थाना नं.-137, तौजी नं.-951, खाता नं.-235, खेसरा नं.-328, जमादार टोला, वार्ड नं.-02, बेतिया, जिला-पश्चिम चंपारण-845438। सीमाएंः उत्तरः सड़क, दक्षिणः निज मोकीर, पूर्वः निज मोकीर, पश्चिमः सड़क। | क) 09-07-2026 ख) 01-11-2025 | रु. 6,30,839.67/- ऋण खाता नं. 915030065611236 तथा रु. 5,13,482.19/- ऋण खाता नं. 915030065611210 | रु. 11,44,321.86/- (रुपये ग्यारह लाख चौवालीस हजार तीन सौ इक्कीस और छियासी पैसे मात्र) ऋण खाता संख्या 915030065611236 एवं 915030065611210 के अंतर्गत दिनांक 08-07-2026 तक देय। |
| 4 | **श्रीमती प्रतिमा** देवी, पत्नी श्री मनकेश्वर मिश्रा, बनूछापर, राजेंद्र नगर, शहर-बेतिया, डाकघर-बेतिया, राजेंद्र कॉलोनी के पास, जिला-पश्चिम चंपारण, बिहार-845438 (उधारकर्ता) **श्री प्रभु नाथ पांडेय,** पुत्र श्री रामाश्रय पांडेय, रामपुरवा, नहर के पास, रामपुरवा, शहर-बेतिया, डाकघर-रामपुरवा, शिव मंदिर के पास, जिला-पश्चिम चंपारण, बिहार-845305 (सह-आवेदक/सह-उधारकर्ता) श्रीमती प्रभा देवी, पत्नी श्री प्रभु नाथ पांडेय, रामपुरवा, नहर के पास, रामपुरवा, शहर-बेतिया, डाकघर-रामपुरवा, शिव मंदिर के पास, जिला-पश्चिम चंपारण, बिहार-845305 (सह-आवेदक/सह-उधारकर्ता) | गैर-कृषि आवासीय भूमि तथा उस पर स्थित भवन, जिसका क्षेत्रफल 3.73 डिसमिल है, विक्रय विलेख संख्या 10116 दिनांक 20.06.2007 में वर्णित एवं श्रीमती प्रभा देवी, पत्नी श्री प्रभु नाथ पांडेय के नाम है। पताः मौजा-बनूछापर, थाना-बेतिया, अंचल एवं निबंधन कार्यालय-बेतिया, थाना नं.-129, जिला-पश्चिम चंपारण, खाता नं.-20, खेसरा नं.-205/21। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएंः उत्तरः ब्लॉक नं. 1, दक्षिणः ब्लॉक नं. 3, पूर्वः रास्ता (सड़क), पश्चिमः खेसरा नं. 20। | क) 17-08-2026 ख) 12-07-2026 | रु.16,00,000/- ऋण खाता नं. 921030004381139 तथा रु. 30,000/- ऋण खाता नं. 921030004381168 | रु. 23,71,045.37/- (रुपये तेईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ पैंतालीस और सैंतीस पैसे मात्र ) |
| 5 | **श्री कृष्ण साह** पुत्र श्री सीता राम साह सरैया गड़वा, वार्ड नं.-5, जिला-पूर्वी चंपारण, आंगनबाड़ी केंद्र सरैया के पास, बिहार-845458 | गैर-कृषि आवासीय भूमि, जिसका क्षेत्रफल 3.30 डिसमिल है, पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 5721 दिनांक 24.08.2017 में वर्णित एवं श्री कृष्ण साह, पुत्र श्री सीताराम साह के नाम है। पताः मौजा-सरैया, थाना नं.-06, तौजी नं.-951, जे.बी. नं.-6698, खाता नं.-1217, प्लॉट नं.-1156, जिला-पूर्वी चंपारण, बिहार। उक्त संपत्ति सभी अधिकारों, सुखाधिकारों एवं उससे संबद्ध सभी आनुषंगिक अधिकारों सहित है। विलेख के अनुसार सीमाएंः उत्तरः जोखू भगत, दक्षिणः सड़क, पूर्वः निज, पश्चिमः मुस्तारी एवं पंकज कुमार सिंह। | क) 30-04-2026 ख) 08-02-2026 | रु.3,70,000/- ऋण खाता नं. 917030066081649 तथा रु. 30,000/- ऋण खाता नं. 917030066081636 | रु. 4,14,696/- (रुपये चार लाख चौदह हजार छह सौ छियानबे मात्र) |
| 6 | **श्री बिंदा लाल प्रसाद** पुत्र श्री बाबूलाल प्रसाद निवासी-मकान नं.-48, नगर/ग्राम-नोनिया, अंचल-पहारपुर, डाकघर-बरवत परसरेन, जिला-पूर्वी चंपारण, बिहार-845438 | गैर-कृषि संपत्ति की भूमि, जिसका क्षेत्रफल 3.17 डिसमिल (8½ हाथ), लगभग 1,316.655 वर्गफुट के बराबर है, मौजा-बरवत परसरेन, थाना क्षेत्र के प्लॉट नं.-1036, जिला-पश्चिम चंपारण, बिहार में स्थित है। विक्रय विलेख संख्या 8246 दिनांक 26.04.2010 के अनुसार, उक्त संपत्ति श्री बिंदा लाल प्रसाद, पुत्र श्री बाबूलाल प्रसाद के नाम है। सीमाएंः उत्तरः मदन मोहन लाल, दक्षिणः निज मोकीर, विक्रेता, पूर्वः 10 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः श्यामा कांत प्रसाद। | क) 05-10-2021 ख) 31-01-2021 | रु. 2,50,000/- ऋण खाता नं. 913030047303832 | रु .2,51,640/- (रुपये दो लाख इक्यावन हजार छह सौ चालीस मात्र) |

नोटिस की वैकल्पिक तामील के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उपर्युक्त उधारकर्ता और/या गारंटर (जहां लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर उल्लिखित बकाया राशि के साथ भविष्य का ब्याज तथा लागू शुल्क इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर जमा करें, अन्यथा 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत, उप-धारा (2) में उल्लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद कोई भी उधारकर्ता, सुरक्षित लेनदेनदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को मोचन कराने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।
सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8):
जहाँ सुरक्षित ऋणदाता की देय राशि, उसके द्वारा किए गए सभी लागत, शुल्क और व्ययों सहित, सार्वजनिक नीलामी की सूचना प्रकाशित होने या सुरक्षित परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक/निजी समझौते द्वारा कोटेशन या निविदा आमंत्रित किए जाने की तारीख से पहले किसी भी समय सुरक्षित ऋणदाता को अदा कर दी जाती है—
I. तो सुरक्षित परिसंपत्तियों को सुरक्षित ऋणदाता द्वारा पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और,
II. यदि ऐसी राशि अदा किए जाने से पहले सुरक्षित ऋणदाता ने परिसंपत्तियों को पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करने के लिए कोई कदम उठाया है, तो उप-धारा के अंतर्गत ऐसी राशि अदा किए जाने के बाद सुरक्षित परिसंपत्तियों के पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।
दिनांकः 06/10/2026
स्थानः बेतिया
अधिकृत अधिकारी
एक्सिस बैंक लिमिटेड

RKTV